त्वरित डाक द्वारा

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
वन शिक्षा निदेशालय
Government of India, Ministry of Environment, Forests & Climate Change,
Directorate of Forest Education,
डाकघर न्यू फौरेस्ट, देहरादून–248 006
P.O. New Forest, Dehra Dun-248 006
☎0135-2750127, 2757326 **फैक्स/**Fax-0135-2750125

सं. 4-760/प्रशि॰ –II/व॰शि॰नि॰ –2018/287–379 दिनाँक: 23.04.2018

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन सैन्यबल प्रमुख)/**मुख्य वन सरंक्षक,**

असम/ अरूणाचल प्रदेश/ आन्ध्र प्रदेश/ अण्डमान एवं निकोबार द्विप समूह/ बिहार/छत्तीसगढ/ गुजरात/ गोवा/ हरियाणा/ हिमाचल प्रदेश/ जम्मू एवं कश्मीर/ झारखंड/ केरल/ कर्नाटक/ महाराष्ट्र / मणीपुर/ मध्य प्रदेश/ मेघालय/ मिजोरम/ नागालैण्ड/ ओडीशा/ पंजाब/ राजस्थान/ सिक्किम/ तमिलनाडु/ तिलंगाना/ त्रिपुरा/ उत्तर प्रदेश/ उत्तराखंड/ पश्चिम बंगाल/केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली/यू टी दमन व दिव / यू टी दादर नगर हवेली/यू टी लक्ष्यद्वीप/ यू टी पोन्डीचेरी/यू टी चण्डीगढ ।

विषयः वर्ष **2018–2019** के दौरान विभिन्न राज्यों में वन विभागों के अग्रपंक्ति के कर्मचारियों (उप वन राजिक/वनविद्/वनरक्षक) एवं वन राजिक अधिकारियों (एफ.आर.ओ.) के लिए एक सप्ताह के पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के संबध में ।

महोदय,

आपको मालूम ही है कि विभिन्न राज्यों के सम्बंधित लोक सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित नव राज्य वन सेवा अधिकारियों (एस.एफ.एस.) एवं वन राजिक अधिकारियों (एफ.आर.ओ.) को प्रशिक्षण प्रदान करना वन शिक्षा निदेशालय का मुख्य ध्येय है। इसके अतिरिक्त यह निदेशालय सेवारत राज्य वन सेवा अधिकारियों एवं वन राजिक अधिकारियों हेतू सामान्य पुनश्चर्या कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित करता है, इसके साथ ही भारत सरकार के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अग्रपंक्ति कर्मचारियों (उप वन राजिक/वनविद्/वनरक्षक) एवं वन राजिक अधिकारियों (एफ.आर.ओ.) के लिए एक सप्ताह के पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जाते हैं ।

भारत सरकार अग्रपंक्ति के वन कर्मचारियों (उप वन राजिक/ वनविद्/वनरक्षक) की क्षमता–निर्माण हेतु राज्य सरकारों के प्रयासो को सम्पुरित करती है तथा संबंधित राज्य वन को अल्पकालिक पुनःश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्यों के वन प्रशिक्षण संस्थानों को निधि उपलब्ध कराती है।

प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राज्य वन विभागों को संरचानत्मक सुविधायें (उदाहरणार्थ– व्याख्यान हाल, छात्रावास सुविधा इत्यादि) एवं रिसोर्स व्यक्ति उपलब्ध कराने होगें। एक बैच में प्रतिभागियों की संख्या 25 रखी जानी चाहिए। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की कुल अवधि 06 दिन निर्धारित की गयी है जिसमें से कम से कम 01 दिन कार्यक्षेत्र दौरा/भ्रमण में लगाया जाना चाहिए।

अंग्रेजी रूपांतरण पिछले पृष्ठ पर

...2/-

Government of India
Ministry of Environment, Forests and Climate Change
Directorate of Forest Education
P. O.- New Forest
Dehradun - 248 006
(Uttarakhand)

No. 4-760/Trg.II/DFT-2018/ 287-379 Dated 23.04.2018.

To,

The Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force),

Government of Assam/ Arunachal Pradesh/ Andhra Pradesh/ Andaman & Nicobar Islands/ Bihar/ Chattisgarh/ Gujarat/ Goa/ Haryana/ Himachal Pradesh/ Jammu & Kashmir/ Jharkhand/ Kerala/ Karnataka/ Maharashtra/ Manipur/ Madhya Pradesh/ Meghalaya/ Mizoram/ Nagaland/ Orissa/ Punjab/ Rajasthan/ Sikkim /Tamilnadu/ Tripura / Uttar Pradesh/ Uttarakhand/ West Bengal/ NCT of Delhi/ UT of Chandigarh/ UT of Daman & Diu/UT of Dadar & Nagar Haveli/UT of Lakshadweep/ UT of Pondicheri.

Sub:- Organizing One Week Thematic Courses for the Frontline Staff (Deputy Rangers/ Foresters/ Forest Guards) and Forest Range Officers (FROs) of the State Forest Departments in different States during **2018-2019** - reg.

******

Sir,

As you are aware that the Directorate of Forest Education having primary mandate of imparting training to newly recruited State Forest Service (SFS) officers and Forest Range Officers (FROs), selected by various state/ UT Government through their respective Public Service Commission. Besides, this Directorate also conducts General Refresher Courses, training workshops for in-service State Forest Service and Forest Range Officers, in addition to these one week General Refresher Course (Deputy Rangers/Foresters/Forest Guard) and one week training (Range Forest Officers) for Frontline Staff are being conducted as per prescribed norms of the Government of India.

The Government of India supplements the efforts of State Governments for capacity building of the frontline forest staff (Deputy Rangers/ Foresters/ Forest Guards) by providing funds to organise short-term training courses for the concerned State Forest Department where the course is organized.

The State Forest Departments provides the infrastructure facilities (eg. lecture hall, hostel accommodation etc.) and the resource persons to organise these courses. The number of participants in a batch should be 25 (twenty five). The actual training should be for 06 (six) days out of which, atleast 1 (one) day should be devoted for field tour/excursions/ exercise.

...2/-

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आवश्यक निधि की व्यवस्था इस निदेशालय के बजट द्वारा की जाएगी। **यह सुनिश्चित करें कि व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही किया जायें एवं उपरोक्त दर्शाये मदों के अतिरिक्त अथवा मानदंड से अधिक किया गया व्यय स्वीकार नहीं किया जाएगा।** प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये व्यय हेतू मानक निम्न अनुसार हैं :–

1- **ठहरने एवं भोजन हेतु रू• 400/– प्रति दिन प्रति सहभागी (06 दिन हेतू)**
2- **पाठ्य सामग्री रू• 500/– प्रति सहभागी ।**
3- **रिसोर्स व्यक्ति को दिया जाने वाला मानेदय रू• 500/– प्रति सत्र (90 मिनट), अधिकतम 20 सत्र हेतू ।**
4- **लम्पसम रू• 10,000/– प्रति प्रशिक्षण – प्रशिक्षणार्थियों को कार्य क्षेत्र भ्रमण हेतू ले जाने के लिए परिवहन व्यय ।**
5- **लम्पसम रू• 7,500/– प्रति प्रशिक्षण रिसोर्स व्यक्तियों हेतू परिवहन व्यय ।**
6- IT सेवाएं, कन्जयुमएबल, बैनर, प्रशिक्षण हाल के रखरखाव इत्यादि हेतू लमसम रू• 5,000/-

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018–2019 के दौरान उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विषयवस्तु 'General refresher course for frontline staff (Deputy Rangers/ Foresters/ Forest Guards) and Workshop for Forest Range Officers (FROs)' रखी गई है । अतः आपसे अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2018–2019 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रस्ताव प्रशिक्षण की रूपरेखा, उनकी सँख्या, प्रस्तावित तिथि एवं प्रशिक्षण संस्थानों के नाम सहित, यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें, जिससे इस कार्यालय द्वारा निधि उपलब्ध कराने हेतु उचित आवश्यक कार्यवाही की जा सके ।

प्रशिक्षण हेतु कुल स्वीकृत राशि की 80% धनराशि का भुगतान पहले किया जाएगा तथा शेष 20% धनराशि का भुगतान प्रशिक्षण पूर्ण होने एवं प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्ती के पश्चात किया जाएगा। **अतः आपसे यह भी निवेदन है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में ही पूर्ण कर लिए जायें।**

अंग्रेजी रूपांतरण पिछले पृष्ठ पर

भवदीय

(आर. पी. सिंह, भा.व.से.)
वन शिक्षा निदेशक

प्रतिलिपिः–

1. अपर महानिदेशक वन (एफ.सी.), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली – 110 003 को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उप वन महानिरीक्षक (आर.टी.), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली –110003 को सूचनार्थ प्रेषित।
3. राज्यों के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक (प्रशिक्षण)/वन संरक्षक (प्रशिक्षण) (सूची अनुसार) को सुचना एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित।
4. निदेशक/ईनचार्ज, वन प्रशिक्षण संस्थान, सभी राज्यों (सूची अनुसार) को सुचना एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। आप से अनुरोध है कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं तिथि प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित करा कर ही भेजें तथा **विगत वर्षों के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं बकाया धनराशि, यदि कोई, इस कार्यालय को यथाशीघ्र अवश्य उपलब्ध करा दें ।**

वन शिक्षा निदेशक

☎0135 – 2757326/ 2750127 (Fax) – 2750125/ e-mail: thedfedun@yahoo.com

The required funding for these courses will be made from the budget of this Directorate. **It may kindly be ensured that the expenditure must be in accordance with the norms provided, and, any expenditure other than the items mentioned therein or beyond the norms shall not be admissible.** The expenditure norms for Frontline Training courses are as below:-

1. Boarding and lodging – Rs. 400/- per day per participant (for 06 days).
2. Reading material – Rs. 500/- per participant.
3. Honorarium to resource persons – Rs. 500/- per session (90 Minutes) for a maximum of 20 sessions.
4. Transportation Expenses for field visit (lump-sum) Rs. 10,000/-
5. Conveyance charges for expert/ resource persons (lump-sum) Rs. 7,500/-
6. Hiring of IT services, consumables, banners, training hall maintenance etc. (lump-sum) Rs.5,000/-

It is to mention here that theme for 2018-19 for aforesaid courses is 'General refresher course for frontline staff (Deputy Rangers/ Foresters/ Forest Guards) and Workshop for Forest Range Officers (FROs)'. Hence, FTIs may be requested to send proposals outlining the course design, number of courses, names of the training institutes and the proposed dates, etc for the financial year 2018-2019 at the earliest so that appropriate necessary action is taken by this office to provide funds.

While sanctioning the course to FTIs initially 80% of the sanctioned amount will be released and the balance 20% amount will be released on receipt of duly countersigned detailed utilization certificate after completion of the course. **It is, therefore, you are requested to complete the training programms in current financial year 2018- 19 only.**

Yours faithfully,

Hindi Version Overleaf.

(R. P. Singh, I.F.S.)
Director Forest Education

Copy to:

1. The Additional Director General of Forests (FC), Government of India, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, New Delhi – 110 003 for information.
2. The Deputy Inspector General of Forests (RT), Government of India, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, New Delhi - 110 003 for information.
3. The Additional Principal Chief Conservator of Forests/ Chief Conservator of Forests (Training)/ Conservator of Forests (Training) (as per list) for information and necessary action.
4. The Director/ In-charge, Forest Training Institutes, all the States/UTs (as per list) for information and necessary action. **It is requested to send the proposed dates and number of courses through the Principal Chief Conservator of Forests only and send the Utilisation Certificates of all earlier courses conducted and unutilised money, if any, should be sent immediately to this office**.

Director Forest Education.

☎0135–2757326/2750127 (Fax)– 2750125/ e-mail: thedfedun@yahoo.com